राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....1583/2014..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड, जयपुर.

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी–II, वाणिज्यिक कर, जयपुर 2. सहायक आयुक्त, विशेष वृत, राजस्थान, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/11/2014	**खण्डपीठ** **श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या अ.प्रा.–II/स्थगन/अ.सं. 162/14–15 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 22.08.2014 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विशेष वृत, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपीलार्थी के वर्ष 2011–12 के लिये केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 सपठित वेट अधिनियम की धारा 24 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 10.03.2014 से सृजित/वसूली योग्य मांग राशि रूपये 1,95,40,303/– में से रूपये 1,50,00,000/– की वसूली पर स्थगन आदेश जारी करते हुए शेष राशि पर स्थगन आदेश जारी किये जाने से इंकार किया है। अतः अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत की गयी है। अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री विवेक सिंघल एवं विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि उनके द्वारा 'सी' फॉर्म के समर्थन से माल का विक्रय किया गया है। क्रेता व्यवहारी 'सी' फॉर्म के उपयोग हेतु अधिकृत था अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में अपीलार्थी व्यवहारी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यदि क्रेता व्यवहारी 'सी' फॉर्म हेतु अधिकृत नहीं था तो इस हेतु देय कर अदा करने की जिम्मेदारी क्रेता व्यवहारी की है, ना कि अपीलार्थी की। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा तदनुसार मांग सृजित किये जाने में विधिक की गयी है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी ने भी आंशिक स्थगन स्वीकार किये जाने में त्रुटि की है। अतः प्रकरण में सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में होने से बकाया राशि की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किया जावे। लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....1583/2014..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड, जयपुर.

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी–।।, वाणिज्यिक कर, जयपुर 2. सहायक आयुक्त, विशेष वृत, राजस्थान, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/11/2014	प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने पर जोर दिया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन करने के उपरान्त प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना**, प्रकरण में वसूली योग्य राशि **रूपये 30,25,352/–** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	